न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ पालामीचामी आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 8/2020
जी.सी.एस.एम. नं. 2020/00030
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 30/11/22

1. श्रीचंद पुत्र रेवती जाति जाटव निवासी ग्राम डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0।
2. रामदेई वेवा तुरसीराम जाति जाटव निवासी ग्राम डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्दनसिंह पुत्र हरकिशन जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई भरतपुर (राज0)।
2. प्रभू पुत्र सामन्ता जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई भरतपुर (राज0)।
3. सोहनलाल पुत्र कमल जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई भरतपुर (राज0)।
4. छोटे पुत्र ख्याली जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई भरतपुर (राज0)।
5. धूपराम पुत्र अमरसिंह जाति जाटव निवासी डहरा तहसील नदबई भरतपुर (राज0)।
6. राजसीन सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री सुरेशसिंह (प्रार्थी की और)

निर्णय

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी शीर्षक दावा न्यायालय श्रीमान में पेश कर दिया गया है जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी ख0न0 1820 रकवा 0.01, 1821 रकवा 0.01, 2219/1819 रकवा 0.11, 1822 रकवा 0.06, किता 4 रकवा कुल 0.18 हैक्ट. वाके ग्राम डहरा तहसील नदबई पर स्थित है। विवादित आराजी में सायल व तर. प्रतिवादीगण की खातेदार काश्तकार कब्जे की आराजी है। जिस पर सायलान काश्त करते हुऐ चले आ रहे है। आराजी गांव के नजदीक होने के कारण नौहरै व आवास के काम में भी ले रहे है।
3. यह है कि खसरा नम्बर 2219/1819, 1822, 1820, 1821 चारों खसरा नम्बरान एक दूसरे से मिले हुऐ है। तथा खसरा नम्बर 1820 व 1821 कुआ की जमीन है जो सायला की खातेदारी की आराजी है जिसको सायलान ने स्वयं की लागत लगाकर पेयजल व सिचांई के लिऐ बनाकर विकसित किया है लेकिन असल प्रतिवादी ने गांव

सहायक कलक्टर
नदबई, जिला भरतपुर

Scanned with CamScanner

के कुछ लोगो को बहकावें में लेकर एक गिरोह बना रखा है और वह सायलान की खातेदारी की जमीन को डा0 भीमराव अम्बेड़कर की मूर्ति स्थापित करक हडत्रपाना चाहते है। अपने इरादे को पूरा करने के लिए असल गैरसायलान स. 1 लगात 5 ने एक राय मशविरा कर गांव के कुछ लोगो को साथ लेकर सायलान की खातेदारी में बने उनके निजी नौहरे की जमीन में मिटटी डालना से मना कर दिया जिनको देखकर सायलान ने मौके पर जाकर गैरसायलान से मिटटी डालना शुरू कर दिया तथा मना करने पर धमकी दी गई कि उक्त आराजी में यह सार्वजनिक है और डा0 भीमराव अम्बेड़कर की मूर्ति स्थापित करेगें। और ना ही प्रशासन से अनुमति ली गई जबकि उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगणो को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है।

4. यह है कि गैर सायलान ने दिनांक 29.02.2020 को मुकाम डहरा पर खुलआम धमकी दी अब हम विवादित आराजी पर जबरन डा0 भीमराव अम्बेड़कर की मूर्ति स्थापित करेगें तथा सार्वजनिक उपयोग में उक्त आराजी को हडप के रहेगें। अगर गैरसायलान इस धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थी को ऐसी हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी नकद धन राशि से नही हो सकेगी। इसलिए सायलान गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेझाया से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। कि वह विवादित आराजी में किसी प्रकार की मंदाखलत मजाहमत नहीं करे व मौके कि यथास्थिति बनाऐ रखे।

5. यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत दर्ज रजि0 किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किये गये। गैरसायलान की तलवी होने पर न्यायालय हाजा कोई भी उपस्थित नही हुऐ। गैर सायलान के एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

6. सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2074 से 2077 वाके ग्राम डाहरा पेश कि गई।

7. गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नही किया गया।

8. सायला के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि :-

9. <u>प्राईमाफेसी केस</u>- प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के तहत् का पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। विवादित आराजी ख0न0 1820 रकवा 0.01, 1821 रकवा 0.01, 2219/1819 रकवा 0.11, 1822 रकवा 0.06, किता 4 रकवा कुल 0.18 हैक्ट. वाके ग्राम डहरा तहसील नदबई पर स्थित है। विवादित आराजी में सायल व तर. प्रतिवादीगण की खातेदार काश्तकार की आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से गैरसायलान का किसी प्रकार से कोई लेना देना नही है ना ही किसी प्रकार को कोई संबंध व सरोकार है गैरसयालान सायला की खातेदारी कि आराजी में किसी प्रकार की दखल व मदाखलत मजाहमत नही करने का कोई अधिकार प्राप्त

Scanned with CamScanner

नही है। इस प्रकार प्राइमाफेसी केस प्रार्थी के हक में बखूबी सावित है। अतः विवादित आराजी को सायला के हिस्से तक मदाखतल मजाहमत ना करने व गैरसायलान को पाबंद किया जाना उचित है।

10. सुविधा का संतुलन :— प्राईमाफेरी केस प्रार्थी के हक में है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है।

11. अपूर्ण क्षति :— चूंकि सायला की खातेदारी कि आराजी है उक्त विवादित आराजीयात का खुर्द —बुर्द होती है तो अपूर्ण क्षति भी सायला को होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0न0 1820 रकवा 0.01, 1821 रकवा 0.01, 2219 / 1819 रकवा 0.11, 1822 रकवा 0.06, किता 4 रकवा कुल 0.18 हैक्ट. वाके ग्राम डहरा तहसील नदबई पर स्थित है।, पर सायल की आराजीयात पर अप्रार्थीगणो को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयत में किसी प्रकार दखलान्दाजी, मदाखलत मजाहत ना करें एवं आराजी से बेंदखल ना रोके।

निर्णय आज दिनांक 30/11/22 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सिद्धार्थ पालानीचामी)
आई.ए.एस
सहायक कलक्टर नदबई

Scanned with CamScanner